

## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में, 2008-09 से 2010-11 के दौरान, जहां भी इस प्रतिवेदन में उल्लिखित है, 2011-12 की अवधि के अद्यतनीकरण के लिए आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियों के महत्वपूर्ण कार्य-कलापों के कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।